

निगमित सामाजिक दायित्व

4.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों, समुदायों सहित अपने शेयरधारकों के हितों की पहचान करते समय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से परिचालन करने की कम्पनी की प्रतिबद्धता है। लाभ कमाने वाली कम्पनियों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे जिसमें कार्य करते हैं उसी से समाज को देने के लिए अपने लाभों का एक भाग समाज की भलाई के लिए समर्पित करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर अधिदेश में शामिल कर विकास के लाभों को समान रूप से देना और देश के विकास एजेंडों से निगमित विश्व को जोड़ना सरकार के प्रयत्नों को पूर्ण करने के प्रयास है।



अगस्त 2013 में भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया। धारा 135 के तहत सीएसआर प्रावधान वाले कम्पनी अधिनियम, (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अधिनियमन के साथ सीएसआर हेतु अधिदेश देश में निगमित अभिशासन का एक भाग बन गया है।

नये कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ पांच सौ करोड़ या अधिक की निवल संपत्ति अथवा ₹ एक हजार करोड़ या अधिक के टर्नओवर अथवा ₹ पांच करोड़ या अधिक का लाभ अर्जित करने वाली प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मण्डल को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट करती है कि कम्पनी तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अपने निगमित सामाजिक दायित्व के उद्देश्य हेतु खर्च करती है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में सीएसआर के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य सूचीबद्ध हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता, राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति, सशस्त्र बल, खेलकूद, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निधि, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स, ग्रामीण विकास परियोजनाएँ, झुग्गी बस्ती का विकास, क्षमता वर्धन आदि शामिल हैं।

अधिनियम के अलावा, निगमित मामला मंत्रालय (एमसीए) ने कम्पनी (निगम सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 जारी की तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पारदर्शिता के अवलोकन तथा चयन में सावधानी और सीपीएसई द्वारा सीएसआर के अर्न्तगत कार्यकलापों के कार्यान्वयन पर दिनांक 1/8/2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, कम्पनी (निगम सामाजिक दायित्व) नियमावली 2014 तथा डीपीई के दिनांक 1/8/2016 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के प्रतिपादन तथा अनुपालन, निष्पादन के योजना स्तरों से संबंधित प्रावधानों, का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट कार्यों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या सीपीएसई द्वारा किये जाने वाले सीएसआर परियोजनाएँ अथवा कार्यक्रम, गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र को संस्थागतकरण करने के लिए संबंधित प्रावधान है;
- क्या रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

- मार्च 2017 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 636 सीपीएसईज थे। इसमें 438 सरकारी कम्पनियां, 192 सरकारी नियंत्रण की अन्य कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम सम्मिलित थे।
- वर्तमान समीक्षा में, 79 सीपीएसईज कवर किये गये थे। दो सीपीएसईज²⁷ के संबंध में डाटा प्राप्त नहीं हुआ था। समीक्षा में 24 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 77 सीपीएसईज (7 महारत्न²⁸, 17 नवरत्न²⁹ और 50 मिनीरत्न³⁰ श्रेणी-I, 3 मिनीरत्न श्रेणी-II³¹) कवर किये गये थे (परिशिष्ट-VIII)। मार्च 2017 को समाप्त एक वर्ष की अवधि समीक्षा में कवर की गई थी।

4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के प्रति किया गया था:

- i. कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों
- ii. कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधानों तथा
- iii. डीपीई दिशानिर्देश का दिनांक 1/8/2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन ।

²⁷ एफसीआई अरावली जिप्सम और मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पीएचएचएल)

²⁸ ₹ 5000 करोड़ से अधिक औसत वार्षिक लाभ था ₹1000 करोड़ या अधिक के औसत वार्षिक निवल मूल्य या पिछले तीन वर्षों के लिये ₹2000 करोड़ या अधिक के कारोबार वाले सीपीएसईज

²⁹ सीपीएसईज जिन्हें पिछले पांच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त हुई हो और छह पैरामीटरों के आधार पर 60 (100 में से) का समय स्कोर प्राप्त हुआ हो जिसमें निवल लाभ, निवल सम्पत्ति, कुल श्रमबल लागत, उत्पादन की कुल लागत, सेवा की लागत, पीबीडीआईटी (मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ), पूंजीगत लागत आदि शामिल हों और कंपनी को पहले मिनीरत्न होना चाहिये और उसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए उसके बाद ही उसे नवरत्न बनाया जा सकता है।

³⁰ सीपीएसईज जिसने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो और तीन वर्षों से एक में ₹30 करोड़ या अधिक का कुल लाभ अर्जित किया हो।

³¹ सीपीएसईज जिसने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो और सकारात्मक निवल सम्पत्ति हो।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

समीक्षा के निष्कर्ष आगामी पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

4.5.1 योजना

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए सभी 77 सीपीएसईज ने सीएसआर समिति गठित की थी। 15 सीपीएसई ने वर्ष 2016-17 के दौरान 25 से 39 महीनों की देरी से सीएसआर समिति का गठन किया (परिशिष्ट-IX)।

4.5.1.2 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) वर्णित करती है कि अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशकों जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। यह पाया गया कि दो पात्र सीपीएसईज³² के पास 2016-17 के दौरान समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

4.5.1.3 सीएसआर तथा धारणीयता नीति बनाना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के प्रावधानों के अनुसार, एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनानी चाहिये। समीक्षाधीन 77 सीपीएसईज के मामले में सीएसआर तथा धारणीयता नीति बनाई गई थी और सीएसआर समिति द्वारा संस्तुत की गई थी तथा इसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

4.5.1.4 सीएसआर नीति में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने वाले कार्यकलाप

यह पाया गया कि 77 सीपीएसईज में से पांच सीपीएसईज अर्थात् इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसीएल), इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीएल), राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसीएल)

³² एमएसटीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)

की सीएसआर नीति ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट 11 कार्यकलापों में से किए जाने वाले कार्यकलापों को नहीं दर्शाया था।

4.5.2 सीएसआर पर व्यय की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में वर्णित है कि प्रत्येक कम्पनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर नीति के अनुसरण में पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कम्पनी के औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करें, बशर्ते कि धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (0) के तहत यदि कम्पनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल होती है तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट कार्य हेतु आवंटित राशि को व्यय न करने के कारणों को उल्लिखित करेगा। वर्ष 2016-17 के दौरान, 77 सीपीएसईज ने 8840³³ परियोजनाएँ आरम्भ की और उन पर सीएसआर व्यय (पूर्व वर्ष की अग्रेनीत राशि से व्यय की गई राशि सहित) ₹ 3150.37 करोड़ था। 77 सीपीएसईज की समीक्षा से पता चला कि 66³⁴ लाभ अर्जन करने वाले सीपीएसईज में से 49 ने पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए कम्पनी के औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत आवंटित किया था। 13 लाभ अर्जक सीपीएसईज (परिशिष्ट-X) ने सीएसआर व्यय के लिए निर्धारित राशि आवंटित नहीं की थी। यद्यपि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) घाटे में जा रही सीपीएसईज के लिये, सीएसआर पर व्यय के आवंटन की आवश्यकता उल्लिखित नहीं करती परन्तु यह देखा गया कि घाटे में जा रहे 11 सीपीएसईज में से पांच सीपीएसईज³⁵ ने भी सीएसआर के लिये ₹18.30 करोड़ की राशि आवंटित की थी जिसमें से वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटित राशि में से ₹14.66 करोड़ का व्यय किया गया था। शेष 6 घाटे में जा रहे सीपीएसईज ने पूर्व वर्ष की अग्रेनीत राशि से ₹1.97 करोड़ का व्यय किया था।


³³ एनएससीएल के संबंध में परियोजना की संख्या उपलब्ध नहीं है।

³⁴ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया टूरिजम डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है।

³⁵ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल), टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) और वेन्नई पेट्रोमियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)।

4.5.2.1 निधियों का उपयोग

77 सीपीएसईज में से, वर्ष 2016-17 के लिये सीएसआर कार्यकलापों पर 66 लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज द्वारा व्यय की गई राशि ₹ 2761.50 करोड़ की अपेक्षित राशि के प्रति ₹ 2789.78 करोड़ थी। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष (वि.व) 2016-17 के



दौरान अपेक्षित राशि का 98-97 प्रतिशत उपयोग किया गया था। 41 सीपीएसईज का सीएसआर पर व्यय औसत वार्षिक लाभ के दो प्रतिशत से अधिक था, जबकि, 25 सीपीएसईज का व्यय (परिशिष्ट-XI) निधियों के 2 प्रतिशत से कम था।

4.5.2.2 पूर्व वर्ष से अग्रणीत अव्ययित राशि


- समीक्षा के अधीन 77 सीपीएसईज में से, 39 सीपीएसईज में पूर्व वर्ष से अग्रणीत ₹ 2438.42 करोड़ की अव्ययित राशि थी। इन सीपीएसईज में से 35 में, वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिये ₹ 214.12 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया। चार सीपीएसईज अर्थात, इरेडा, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आईटीपीओ, साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीएल) ने ₹ 1636.11 करोड़ की अग्रणीत राशि का उपयोग नहीं किया जिसमें से केवल ओएनजीसी की अव्ययित राशि ₹ 1520.90 करोड़ थी।
- पूर्व वर्ष की अग्रणीत अव्ययित शेष वाले 39 सीपीएसईज में से आठ³⁶ सीपीएसईज ने पूर्व वर्ष से अग्रणीत अव्ययित राशि का पूर्ण उपयोग किया। छह³⁷ सीपीएसईज ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) में अलग से निर्दिष्ट अनुसार अग्रणीत राशि से वास्तविक व्यय के संबंध में विवरण नहीं बनाया था।

³⁶ पीडीआईएल, आरईआईएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), नूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), एसजेवीएन सेल, सीडब्ल्यूसी, भारतीय रेल खानपान और पर्यटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

³⁷ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), एनएमडीसी, एनएससीएल, भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड (बीसीसीएल), डब्ल्यूएपीसीओ, गेल

4.5.2.3 राज्य-वार सीएसआर व्यय


77 सीपीएसईज के सीएसआर पर राज्य-वार व्यय चित्र में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि सीपीएसईज ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में ज्यादा व्यय किया, जबकि, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम में कम व्यय किया। विस्तृत सीएसआर व्यय, राज्य-वार परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।



4.5.3 सीएसआर कार्यकलापों का क्रियान्वयन

4.5.3.1 क्रियान्वयन योजना

डीपीई दिशानिर्देश 2014 के नियम 6(1) के अनुसार, सीपीएसईज की सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों को सूचिबद्ध करना चाहिए जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की



अनूसूचियों के अनुपालन में कम्पनी की योजना जो कार्यक्रमों और कार्यान्वयन कार्यक्रमों के लिए परियोजनाओं के निष्पादन की विधियों को वर्णित करती है। डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1/8/2016 के पैरा 2(IV) के अनुसार “सीएसआर को कार्यान्वित करने के लिए सीपीएसईज द्वारा निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए संस्थागतकरण तंत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह पाया गया था कि 77 सीपीएसईज में से 59 सीपीएस ने वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सीएसआर योजना का गठन कर लिया। 41 सीपीएसईज के मामले में, परियोजनाओं हेतु कार्यान्वयन कार्यक्रम सीएसआर नीति में उल्लिखित नहीं किया गया था। एनएसआईसीएल की सीएसआर योजना में सीएसआर के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यकलापों की सूची अनुमोदित नहीं थी। 16 सीपीएसईज ने वर्ष 2016-17 के लिये कोई भी वार्षिक सीएसआर योजना तैयार नहीं की थी।


4.5.3.2 सीएसआर कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा

सीएसआर नियमावली के नियम 4(2) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मण्डल सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपने सीएसआर कार्यकलापों के शुरू करने का निर्णय ले सकता है,

(क) अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कोई

स्थापित कम्पनी अथवा कोई पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी, किसी कम्पनी द्वारा स्थापित, या तो एकल रूप से अथवा किसी अन्य कम्पनी के सहयोग से अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत स्थापित कम्पनी अथवा कोई पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी सतत्व द्वारा स्थापित किसी संसदीय अधिनियम अथवा राज्य विधान सभा के अन्तर्गत स्थापित:



सीपीएसईज द्वारा नियोजित कार्यान्वयन संगठन के प्रकार हेतु अलग-अलग रूपरेखा चार्ट संख्या 4.4 में दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 57 सीपीएसईज ने अपने क्रियान्वयन हेतु एकमात्र प्रत्यक्ष, स्वयं के फाउंडेशन, अन्य कम्पनियों/समित्ति/ट्रस्ट/धारा 8 कम्पनी के संयोजन से कार्यान्वयन के माध्यम को वरीयता दी, जबकि 11 सीपीएसईज ने सीएसआर कार्यकलाप करने के लिये कार्यान्वयन के एकमात्र प्रत्यक्ष माध्यम को वरीयता दी।

39 सीपीएसईज की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 2016-17 के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित कुल 1986 परियोजनाओं में से, 833 (41.94 प्रतिशत) परियोजनाएँ निविदा के आधार पर आवंटित की गई थीं, 727 (36.61 प्रतिशत) नामांकन आधार पर दी गई थीं और 426 परियोजनाएँ (21.45 प्रतिशत) अन्य माध्यमों से क्रियान्वित की गई थीं अर्थात् सरकारी मशीनरी या समुदाय आधारित संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय निगमित सामाजिक दायित्व (एनसीएसआर) हब, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ

सोशल सर्विस, मुंबई (टीआईएसएस) आदि के माध्यम से परियोजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ओएनजीसी ने, कम्पनी के सीएसआर कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु नवंबर 2014 में ओएनजीसी फाउंडेशन नाम की ट्रस्ट बनाई और पंजीकृत की। यह देखा गया कि यद्यपि ओएनजीसी फाउंडेशन सीएसआर कार्यकलाप करने और सीएसआर परिसंपत्तियां तैयार करने के प्रबंधन हेतु बनाई गई थी, परन्तु ट्रस्ट गठित होने के 33 महीने समाप्त होने के बाद भी पूर्ण से सक्रिय नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की दो परिसंपत्तियां अर्थात् लखीमपुर-खीरी जिला (उ.प्र) में ओएनजीसी कम्यूनिटी हॉस्पिटल और सिबसागर हॉस्पिटल जिसकी कीमत क्रमशः ₹ 4.89 करोड़ और ₹ 3.75 करोड़ थी, को ओएनजीसी फाउंडेशन की पहली बैठक (दिसंबर 2014) और बोर्ड बैठक (नवंबर 2016) में लिये गये निर्णय के बावजूद ओएनजीसी फाउंडेशन के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया गया था (अगस्त 2017 तक)। कम्यूनिटी हॉस्पिटल के संबंध में ₹ 4.89 करोड़ का व्यय 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि परिसंपत्ति को ओएनजीसी कम्यूनिटी हॉस्पिटल से ओएनजीसी फाउंडेशन में ट्रांसफर करने के लिये कार्रवाई की जायेगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है।

4.5.3.3 बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण

डीपीई दिशानिर्देशों के दिनांक 1/8/2016 के का.जा. के पैरा 2 (ii) में अपेक्षित है कि सीपीएसईज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की जरूरत को प्राथमिकता देने और सीएसआर गतिविधियों के अन्तर्गत कार्यक्रमों/परियोजनाओं के चयन के लिए हितधारकों के साथ चयन और जुड़ाव के मापदंड स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, आवश्यकताओं के अनुपालन की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- क) 77 सीपीएसईज में से 19 सीपीएसईज ने सीएसआर कार्यकलापों के चयन से पूर्व कोई भी बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया।
- ख) समीक्षा किये गये 77 सीपीएसईज में से 50 ने 2016-17 में सीएसआर योजना के अंतर्गत 3441 नई परियोजनाएँ आरम्भ की थी। इसमें से, 2804 परियोजनाओं

के लिये बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण किया गया था और आरम्भ की गई कुल नई परियोजनाओं में से 637 (18.5 प्रतिशत) के लिये सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

- ग) ईआईएल के संबंध में, एजेंसी जिसने सीएसआर के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु कम्पनी से संपर्क द्वारा किये गये आवश्यकता निर्धारण के आधार पर किसी भी सीएसआर कार्य और सीएसआर व्यय के चयन से पूर्व कोई भी बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया गया था। प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में बताया कि बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण ईआईएल को सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सीएसआर प्रस्तावों का भाग बनाए गए हैं और उसके लिए मार्गनिर्देशों में कोई सुनिश्चित आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह शेष रहता है कि सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वयं कम्पनी को बेसलाइन/निर्धारण सर्वेक्षण करने हैं।
- घ) वर्ष 2016-17 के दौरान, एनबीसीसी का कुल सीएसआर व्यय ₹ 7.74 करोड़ था। कम्पनी ने न तो बेसलाइन सर्वेक्षण किया और न ही अपने सीएसआर कार्यकलापों के लिये आवश्यकता निर्धारण किया। कम्पनी ने बताया कि बेसलाइन सर्वेक्षण/आवश्यकता निर्धारण में व्यय होता है और इस अध्ययन के बाद भी, जिला प्रशासन/सरकारी निकाय/किसी अन्य सरकारी एजेंसी से निर्धारित फार्मेट में घोषणा पत्र/मांग पत्र लेना अपेक्षित था। कम्पनी ने यह भी बताया कि सर्वेक्षण/निर्धारण से भूमि, संसाधन की उपलब्धता और अन्य प्रभार/रखरखाव मुद्दों के बारे में स्पष्ट नहीं होगा।

4.5.3.4 परिचालन क्षेत्र हेतु वरीयता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार प्रत्येक कम्पनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी, प्रत्येक वित्त वर्ष में, अपने निगमित सार्वजनिक दायित्व नीति के अनुपालन में तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान कम्पनी को हुए औसत निवल लाभ में से कम से कम दो प्रतिशत खर्च करें।


जो प्रावधान करता है कि कम्पनी को निगमित सामाजिक दायित्व कार्यकलापों के लिए निर्धारित राशि को व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और परिचालन क्षेत्र के समीप ही वरीयता देगी।

यह देखा गया कि 77 सीपीएसईज में से 49 ने, परिचालन के स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया। 24 सीपीएसईज ने अपने परिचालन का स्थानीय क्षेत्र परिभाषित नहीं किया। 77 सीपीएसईज में से 62 ने सीएसआर निधि के व्यय हेतु अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी। दस³⁸ सीपीएसईज ने परिचालन के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी। चार सीपीएसईज³⁹ ने बताया कि उनके पास कोई भी विशेष भौगोलिक स्थान नहीं है और इसलिये सीएसआर कार्यकलाप अखिल भारतीय आधार पर आरम्भ किया। भारत डायनामिक लिमिटेड (बीडीएल) के मामले में डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.5.3.5 सीपीएसईज द्वारा किये गये सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करना

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 4(1) और पैरा 6(1) के प्रावधान के अनुसार, कम्पनी को अपनी सीएसआर नीति में उल्लिखित अनुसार सीएसआर कार्यकलाप करने चाहिये अर्थात् कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंदर आने वाली परियोजनाएँ तथा कार्यक्रम।

77 सीपीएसईज में विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों/क्षेत्रों पर व्यय के केन्द्र चार्ट 4.5 में दर्शाये गये हैं।



वर्ष 2016-17 के दौरान 77 सीपीएसईज द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की संख्या 8840⁴⁰ थी और उन पर सीएसआर व्यय (पिछले वर्ष की अग्रेनीत राशि से व्यय राशि सहित) ₹ 3150.37 करोड़ था। जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है,

³⁸ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), आईटीपीओ, सीडब्ल्यूसी, आईआरईडीएएल, डब्ल्यूएपीसीओ, टीसीआईएल, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, राइट्स, पीडीआईएल

³⁹ हुडको, आरईसी, पीएफसी और पीईसी

⁴⁰ एनएससीएल से संबंधित परियोजनाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सततता पर कुल व्यय क्रमशः ₹ 1036 करोड़, ₹ 826 करोड़, ₹ 417 करोड़ और ₹ 394 करोड़ था, जो सीएसआर का मुख्य क्षेत्र था। प्रौद्योगिकी उद्भवन, सशस्त्र बलों, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निधियों और स्लम एरिया डेवलपमेंट जैसे कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में दिए गए अन्य क्षेत्रों पर केन्द्र सीमित था।

4.5.3.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 4(6) के अनुसार, कम्पनियां अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों का कम से कम तीन वर्षों के स्थापित ट्रैक रिकार्ड वाले संस्थानों के माध्यम से सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कर सकेंगी लेकिन प्रशासनिक उपरिव्यय⁴¹ सहित ऐसे व्यय एक वित्तीय वर्ष में कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 2.4 (xvii) में उल्लेख है कि बेसलाइन सर्वेक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर होने वाला व्यय सीएसआर व्यय के प्रशासनिक उपरिव्यय के 5 प्रतिशत के अंदर होना चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान 77 सीपीएसईज में से 55 सीपीएसईज द्वारा सीएसआर के लिए सूचित कुल व्यय कुल सीएसआर व्यय⁴² का 2.52 प्रतिशत था। यह देखा गया कि इन 55 सीपीएसईज में से तीन सीपीएसईज अर्थात् एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल लाइफकेयर), राइट्स लिमिटेड (राइट्स) और बीईएल का वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक था।

एमसीए ने अपने स्पष्टीकरण (सितम्बर 2014) में कुल सीएसआर व्यय की सीमा से कम्पनी के वालिंटियरों के साथ-साथ नियमित सीएसआर स्टॉफ को कम्पनियों द्वारा दिए गए वेतन पर व्यय से छूट दी थी। तथापि 55 में से 26 सीपीएसईज (परिशिष्ट-XIII) ने सीएसआर स्टॉफ और वालिंटियरों के वेतन पर खर्च कुल ₹ 66.60 करोड़ को प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में शामिल किया था। इन 26 सीपीएसईज द्वारा सीएसआर

⁴¹ निगम मामले मंत्रालय की दि. 12.09.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधन

⁴² ₹ 75.61 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय (55 सीपीएसईज के लिए) के प्रति ₹ 2996.42 करोड़

गतिविधियों पर कुल ₹ 75.61 करोड़ व्यय में सीएसआर कर्मचारियों के वेतन के प्रति व्यय किया गया था जो अस्वीकार्य था।

4.5.3.7 सीएसआर परियोजनाओं से होने वाला अधिशेष

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 के नियम 6(2) के अनुसार “कम्पनी की सीएसआर नीति में यह विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से होने वाला अधिशेष कम्पनी के कारोबारी लाभ का भाग नहीं बनना चाहिए”।

यह देखा गया कि 77 सीपीएसईज में से 19 की सीएसआर नीति में उपरोक्त सूचना विनिर्दिष्ट नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान 77 सीपीएसईज में से छः⁴³ सीपीएसईज ने सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष की सूचना दी। छः सीपीएसईज में से दो सीपीएसईज (एनएलसीएल तथा बीडीएल) के अधिशेष जैसे कम्पनी बस सेवाओं से टिकटों की बिक्री से अर्जित राजस्व और सीएसआर गतिविधियों के लिए सावधि जमा पर अर्जित ब्याज का पुनर्निवेश नहीं किया है। चार सीपीएसईज ने सीएसआर के लिए अनिवार्य 2 प्रतिशत आवंटन के अतिरिक्त ऐसा पुनर्निवेश किया।

एनबीसीसी के मामले में, यह देखा गया कि गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में तीन सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य ₹ 0.59 करोड़ की राशि में एलएसएल सर्विसेज लिमिटेड (एनबीसीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) को दिया गया था। वर्ष 2016-17 के लिये सीएसआर व्यय के विवरण से पता चला कि उपरोक्त कार्य के लिये पहले और अंतिम बिल के प्रति एनएसएल को ₹ 0.65 करोड़ दिये गये थे। तथापि, उसी कार्य के लिये ₹ 0.08 करोड़ की राशि देयता के रूप में भी दिखाई गई थी (जनवरी 2017) तथा उसे 31.03.2017 को एनएसएल को दे दिया गया था। यह देखा गया कि सीएसआर विभाग ने कम्पनी के वित्तीय विभाग को इस विसंगति के बारे में यह कहते हुये सूचित किया कि सीएसआर विभाग में ₹ 0.09 करोड़ की राशि वाला कार्य करने हेतु ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं किया गया था (जनवरी 2017)। सीएसआर के खण्ड 2.7 और एनबीसीसी की एसडी नीति के अनुसार, बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को सीएसआर

⁴³ एनएलसीएल, एचएएल, बीडीएल, आरआईएनएल, एनआरएल, एनएससीएल

कार्यकलाप और सीएसआर कार्यकलाप पर हुये व्यय को स्वीकृत/अनुमोदित करना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के अनुमोदन या सीएसआर विभाग से अनुरोध के बिना एनएसएल को ₹ 0.09 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नेवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने टाउनशिप से परिधीय गांवों को बस से जोड़ कर सस्ती पहुंच उपलब्ध कराई। उस पर ₹ 1.44 करोड़ का व्यय सीएसआर व्यय के अंतर्गत बुक किया गया था। तथापि, टिकट की बिक्री से अर्जित ₹ 1.83 करोड़ के राजस्व को कम्पनी की अन्य आय के रूप में माना गया था। प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2017) कि 2016-17 के लिये निवल व्यय (आय और कर्मचारी लागत संमजित करने के बाद) ₹3 करोड़ था। इसमें से, जन-प्रवेश, जो नेवेली टाउनशिप की सामाजिक सुविधाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करने हेतु योजना है, के अंतर्गत सीएसआर के प्रति एक भाग का अंतरण किया गया है। इसके अलावा, सीएसआर कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध ऑटो यार्ड के व्यय, को भी सीएसआर व्यय को प्रभारित किया गया है। तथापि, तथ्य यह शेष है कि ₹ 1.83 करोड़ के राजस्व को सीएसआर आय के रूप में नहीं दर्शाया गया था।

बीडीएल के मामले में, कम्पनी ने अव्ययित राशि में से सावधि जमा में ₹ 12.04 करोड़ की राशि का निवेश किया था और उस पर ₹ 0.96 करोड़ (@8 प्रतिशत की दर) की राशि के अर्जित ब्याज का सीएसआर कार्यों हेतु पुनर्निवेश नहीं किया गया था।

4.5.4 सीएसआर गतिविधियों की निगरानी

4.5.4.1 सीएसआर नीति की निगरानी


कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3-सी) प्रावधान करती है कि सीएसआर समिति को समय-समय पर कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करनी चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया था कि 76⁴⁴ में से चार सीपीएसईज अर्थात् कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल), एनएलसीएल, एसटीसीआईएल, और आरसीआईएल की सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति की आवधिक रूप से निगरानी नहीं की थी।

⁴⁴ एक सीपीएसई आईटीडीसी का डाटा उपलब्ध नहीं था।

77 सीपीएसईज में से, नौ⁴⁵ सीपीएसईज के मामले में, वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर नीति में परिवर्तन अनुमोदित किये गये थे ताकि उसे कारोबार नीति और रणनीति के साथ मिलाया जा सके।

4.5.4.2 निगरानी तंत्र का गठन

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 5(2) में बताया गया कि सीएसआर समिति को कम्पनी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पारदर्शी निगरानी तंत्र



स्थापित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, डीपीईओएम दिनांक 01.08.2016 में सीपीएसईज के कार्यान्वयन द्वारा सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन हेतु संस्थागत ढांचे होने के निर्देश दिये। यह देखा गया कि 77 सीपीएसईज में से छह⁴⁶ सीपीएसईज में कोई निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था।

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 6(1) में बताया गया है कि कम्पनी की सीएसआर नीति में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली वो परियोजनाएँ और कार्यक्रम जो कम्पनी ने आरंभ करने की योजना बनाई है, को निगरानी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिये। तथापि, 77 सीपीएसईज में से, चार⁴⁷ सीपीएसईज की सीएसआर नीति में यह जानकारी शामिल नहीं थी।

गेल ने, वर्ष 2013-14 के लिये ₹ 3.13 करोड़ के अंशदान के माध्यम से झाबुआ, मध्य प्रदेश में गांवों में जलधर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डिवेलपमेंट और मैनेजमेंट कार्यक्रम नामक सीएसआर परियोजना का वित्तपोषण करने के लिये कम्यूनीटी फ्रेंडली मूवमेंट (सीएफएम) के साथ जुलाई 2013 में दो करार किये। इसके बाद, अप्रैल 2014 में, परियोजना को 2014 से 2018 तक जारी रखने के लिये सीएफएम के साथ एक और करार हस्ताक्षरित

⁴⁵ बीईएल, बीडीएल, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), एनबीसीसीएल, आईटीडीसी, ओआईएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), बीपीसीएल, पीडीआईएल

⁴⁶ एमआरपीएल, एनएलसीएल, आईटीडीसी, एसीएल, एनएससीएल, आरवीएनएल

⁴⁷ एमएसटीसीएल, आईटीडीसी, आईओसीएल, एसीएल

किया गया था, जिसमें ₹ 12.50 करोड़ का कुल अंशदान था। करार की शर्तों के अनुसार, 6 वाटरशेड, फ्लुराइड मिटिगेशन यूनिट और 100 शौचालय मार्च 2017 तक पूर्ण रूप से तैयार किये जाने थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि 40 वाटरशेड्स और 4 फ्लोराइड मिटिगेशन इकाइयों से संबंधित कार्य पूरे हो गये थे लेकिन मार्च 2017 तक कोई भी शौचालय नहीं बनाए गए थे। जबकि सीएफएम ने ठोस परिसंपत्तियों के सृजन के प्रति कुल लागत का 62.4 प्रतिशत बजट प्रदान किया था, फिर भी इसने केवल 30 प्रतिशत परिसंपत्तियों के सृजन पर और बाकी 70 प्रतिशत अन्य गतिविधियों पर खर्च किया था। व्यय के पृथक्करण के अभाव में गेल विभिन्न परिदृश्यों के लिए खर्च की गई लागत की व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं कर सका। आपत्ति पर प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।

4.5.4.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र

डीपीई ओएम दिनांक 01.08.2016 के अनुसार वर्ष हेतु आबंटित सीएसआर निधियों के पूर्ण उपयोग हेतु सीपीएसईज द्वारा सभी प्रयास किये गये।

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 77 सीपीएसईज में से 9⁴⁸ सीपीएसईज के मामले में, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति को मॉनीटर नहीं किया जा रहा था। 10⁴⁹ सीपीएसईज के मामले में, पूर्व आबंटन के उपयोग का सत्यापन किए बिना निधियों को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सदस्य सगठनों के रूप में अन्य सीपीएसईज अर्थात् गेल, आईओसीएल, ओआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ईआईएल, सीपीसीएल तथा एमआरपीएल के साथ ओएनजीसी ने भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौशल विकास के प्रमुख उद्देश्य से एक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 4.34 करोड़ की कुल राशि का योगदान दिया (31.07.2017 तक)। ऑयल पीएसई द्वारा विकसित किए जा रहे छः कौशल विकास संस्थानों को राष्ट्रीय कौशल

⁴⁸ सीपीसीएल, एनएलसीएल, एमईसीओएन, एससीआईएल, आरसीएफएल, एनबीसीसी, एसटीसीआईएल, एनएससीएल, आरसीआईएल

⁴⁹ केपीएल, एनएलसीएल, आरईआईएल, बीईएमएल, एमडीएनएल, एमईसीओएन, एमएसटीसी, एससीआईएल, एनबीसीसी, एनएससीएल

विकास परिषद (एनएसडीसी) से पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र के लिए एचएसएससी के साथ संबद्ध होना अपेक्षित है। यह पाया गया कि एचएसएससी तथा एनएसडीसी के बीच करार को अभी हस्ताक्षरित किया जाना था (सितम्बर 2017)। इसके अलावा, एचएसएससी ने अभी तक (सितम्बर 2017) केवल ₹ 0.09 करोड़ का उपयोग किया है। तथापि, ₹ 4.25 करोड़ की अव्ययित राशि को उक्त सीपीएसईज द्वारा सीएसआर व्यय के रूप में सूचित भी किया गया। ओएनजीसी के प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि परियोजना तथा व्यय की स्थिति की चर्चा करने के लिए नियमित अन्तराल पर शासन परिषद की बैठके आयोजित की गई थी।

4.5.4.4 अपात्र सीएसआर गतिविधियां

कम्पनी निगम सामाजिक दायित्व नियमावली 2014 के नियम 4(4) के प्रावधानों के अनुसार, भारत में आरम्भ की गई सीएसआर परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा गतिविधियां केवल सीएसआर व्यय करती हैं। नियम 4(5) बताता है कि सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां जो केवल कम्पनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए लाभदायक हैं, पर सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सीएसआर नियमावली का नियम 4(7) बताता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के योगदान पर सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 77 सीपीएसईज द्वारा की गई गतिविधियों की योग्यता की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- एनएसडीसी के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक पुस्तक मेला कार्यक्रम पर ₹ 0.45 करोड़ की राशि व्यय की गई है जो दिनांक 18.06.2014 तथा 12.01.2016 के एमसीए के उस परिपत्र के अनुसार नहीं थी जो यह बताता है कि एक ऑफ इवेंट को सीएसआर व्यय के भाग के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं होगी। प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि पिछले 19 वर्षों से निरन्तर पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा था तथा राज्य में द्वितीय सबसे बड़े पुस्तक मेले में आसपास के गांवों के विद्यालयों से रोज लगभग 1000 से 1500 विद्यार्थी आते थे। तथापि पुस्तक मेला एमसीए के प्रावधानों के अनुसार नहीं था तथा इसीलिए व्यय सीएसआर व्यय के रूप में पात्रता नहीं रखता है।

- सेल ने वो गतिविधियां आरम्भ की थी जो केवल कम्पनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए लाभदायक थी। सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 4(5) के तहत ये गतिविधियां सीएसआर गतिविधियों के प्रति संगणित होने के योग्य नहीं थी। गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित था (i) 2016-17 के दौरान ₹ 0.13 करोड़ की लागत पर इस्पात टाउनशिप के अन्दर तथा उसके आसपास प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने का कार्य करना, (ii) 2016-17 के दौरान ₹ 0.90 लाख की लागत पर दुर्गापुर म्यूजियम का परिचालन एवं अनुरक्षण, तथा (iii) 2016-17 के दौरान ₹ 0.08 करोड़ की लागत पर बीएसएल स्कूल बिल्डिंग का अनुरक्षण। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2017) कि उक्त परियोजनाओं/गतिविधियों को वार्षिक सीएसआर बजट योजना 2016-17 के अनुसार सेल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया तथा यह कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों अर्थात् स्वच्छता, पर्यावरण, स्थायित्व, राष्ट्रीय परिसम्पत्ति, कला तथा संस्कृति की सुरक्षा, शिक्षा के संवर्धन के व्याख्या में आते हैं। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन व्यय के अधिकतर लाभार्थी कर्मचारी तथा उनके परिवार थे, इसलिए परिवार गतिविधियों की देखभाल इस्पात संयंत्र द्वारा व्यवसाय की सामान्य उपक्रम में की जानी थी।
- गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की यादगार के लिए 'सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (एसवीपीआरईटी)' नामक गुजरात संगठन के माध्यम से 'स्टेचू ऑफ यूनिटी' नाम की परियोजना लागू की। अक्टूबर 2018 तक पूर्ण होने के लक्ष्य के साथ ₹ 2989 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर लार्सन एंड टूब्रो लि. को अक्टूबर 2014 में कार्य के लिए ठेका दिया गया था। विस्तृत प्रस्ताव के अनुसार, परियोजना में निम्नलिखित का निर्माण सम्मिलित था (i) सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची कांस्य परत की प्रतिमा जोकि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, (ii) मेमोरियल तथा विजिटर केन्द्र, गार्डन तथा (iii) 'श्रेष्ठ भारत भवन' नाम का सम्मेलन केन्द्र। ट्रस्ट ने पांच सीपीएसईज अर्थात् ऑयल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड से परियोजना में भाग लेने तथा अधिक निधियों का योगदान करने के लिए सम्पर्क किया

क्योंकि वर्ष 2016-17 में निधियों में ₹ 780 करोड़ तक की कमी थी। इसके पश्चात, सभी पांच सीपीएसईज ने सीएसआर के तहत इस परियोजना के प्रति कुल ₹ 146.83 करोड़ (ओएनजीसी ₹ 50 करोड़, आईओसीएल ₹ 21.83 करोड़, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल प्रत्येक ₹ 25 करोड़) का योगदान दिया। इस गतिविधि को अनुसूची VII की मद (V) अर्थात् राष्ट्रीय ऐतिहासिक परिसम्पत्तियों, कला तथा संस्कृति का संरक्षण के अन्तर्गत दर्शाया गया। इस परियोजना के प्रति योगदान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधि के रूप में पात्रता नहीं रखता क्योंकि यह एक ऐतिहासिक परिसम्पत्ति नहीं थी।

ओएनजीसी के प्रबंधन ने बताया है कि परियोजना में शिक्षा संवर्धन, भरूच तक नर्मदा नदी के किनारों का विकास आदि जैसी गतिविधियां सम्मिलित थी। व्यय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल एवं आईओसीएल के प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि एमसीए द्वारा जारी परिपत्र सं. 21/2014 के अनुसार उन्होंने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित विषयों के सार लेने के लिए गतिविधि का प्राथमिकता से वर्णन किया।

यह पाया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (एसवीपीआरईटी) को ट्रस्ट के कोष के प्रति योगदान के रूप में ₹ 50 करोड़ की सम्पूर्ण राशि दी गई है। व्यय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। तथ्य यह है कि प्रतिमा के निर्माण के प्रति योगदान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधि के रूप में पात्र नहीं था।

➤ गेल ने आरयूएचएस में 'केथ लेब' की स्थापना के लिए ₹ 3 करोड़ के वित्तपोषण हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के साथ एक करार किया (दिसम्बर 2012)। करार अवधि 1 जून 2013 से 30 जून 2014 तक थी। करार की शर्तों के अनुसार, मद की लागत के 50 प्रतिशत अथवा मदों हेतु भुगतान किए गए अग्रिम जो भी कम हो, की पहली किश्त को बुकिंग हेतु मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में मद के बीजक की प्रस्तुति पर रिलीज किया जाना चाहिए। गेल ने अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति के बिना 15 फरवरी 2014 को ₹ 1.50 करोड़ की प्रथम किश्त


जारी की। अग्रिम की प्राप्ति के पश्चात भी, आरयूएचएस ने परियोजना पर कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की तथा गेल के पत्राचार का भी कोई जवाब नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीजक की प्रस्तुति के प्रति अग्रिम जारी करने के लिए करार की स्पष्ट शर्तों के बावजूद, कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना करार के प्रावधानों का उल्लंघन करके अग्रिम जारी किया। इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों के लिए ₹ 1.50 करोड़ का अवरोधन हुआ जो भुगतान किए गए अग्रिम की उगाही तक जारी रहेगा। प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि प्रथम किश्त निधि मांग पत्र तथा प्रोफॉर्मा बीजक की प्राप्ति पर आरयूएचएस को जारी की गई। इसके अलावा, प्रतिदाय के मामले को राज्य सरकार के सभी उच्चतम स्तरों तक उठाया गया है, यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरयूएचएस को ई-टेडरिंग के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक दृढ़ ठेके के प्रमाण के बिना ₹ 1.50 करोड़ जारी किए गए तथा अनुबंध के अनुसार बुकिंग अग्रिम/बीजक की प्राप्ति के परिणामस्वरूप सीएसआर परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के बिना तीन से अधिक वर्षों के लिए निधियों का अवरोधन हुआ।

4.5.5 सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्टिंग और स्थिरता

4.5.5.1 सीएसआर समिति की संरचना का प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के अनुसार, बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।



लेखापरीक्षा ने देखा कि अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सभी 77 सीपीएसईज की अपेक्षित सूचना प्रकट की।

4.5.5.2 सीएसआर की विषयवस्तु प्रदर्शित करना

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 9 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मण्डल को अपनी रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रस्तुत करनी चाहिये और उसे कम्पनी

की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये। 77 सीपीएसईज में से नौ⁵⁰ सीपीएसईज ने अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषय वस्तु प्रकट नहीं की। बीडीएल नाम के एक सीपीएसईज ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रदर्शित नहीं की है।

4.5.5.3 बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट का समावेशन

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 8(1) के अनुसार, कम्पनी की बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित प्रोफॉर्मा में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित होनी चाहिए। यह देखा गया कि तीन सीपीएसईज जहां डाटा उपलब्ध नहीं था (केपीएल, एनएलसीएल तथा आईआरडीडीएल), को छोड़कर सभी सीपीएसईज में उनकी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित थी। एक सीपीएसईज (एसीएल) के मामले में, बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित एक वार्षिक रिपोर्ट सीएसआर नियमावली 2014 के तहत निर्धारित प्रारूप में नहीं थी।

सीएसआर नियमावली 2014 के अनुबंध में, यह अपेक्षित था कि बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का यह एक दायित्व व्याख्यान सम्मिलित होगा कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में था। यह पाया गया कि 4⁵¹ सीपीएसईज की बोर्ड रिपोर्ट ने बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति के दायित्व विवरण को सम्मिलित नहीं किया।

4.5.5.4 अव्ययित राशि की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन लाभ कमाने वाले 63⁵² सीपीएसईज में से, 41 सीपीएसईज ने वर्ष 2016-17 में सीएसआर की निर्धारित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया। शेष 22 सीपीएसईज में से 21 सीपीएसईज ने बोर्ड की रिपोर्ट में कारण⁵³ वर्णित किए। एक सीपीएसईज अर्थात् ईआईएल ने वर्ष 2016-17 में निर्धारित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया। वर्ष

⁵⁰ एनएमडीसी, आरआईएनएल, एमएसटीसीएल, एनएसआईसीएल, ओआईएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, आरईआईएल, एसीएल

⁵¹ बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसीएल, आरआईटीईएस

⁵² तीन सीपीएसईज अर्थात् आईटीपीओ, सीडब्ल्यूसी तथा हुडको के मामलों में डाटा उपलब्ध नहीं है।

⁵³ बहुवर्षीय परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को बजट अग्रणीत किया गया परन्तु व्यय नहीं किया गया जो परियोजना प्रस्तावों आदि में नए क्षेत्रों तथा आगामी परिवर्तनों का अन्वेषण करता है

2016-17 के लिए अव्ययित राशि ₹ 8.13 करोड़ थी। तथापि बोर्ड की रिपोर्ट में कम उपयोग के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

4.5.5.5 अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य करना

सीएसआर नियमावली 2014 का नियम 4(3) वर्णित करता है कि “कम्पनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अन्य कम्पनियों की इस प्रकार से सहायता कर सकती है कि सम्बंधित कम्पनियों की समितियां ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर पृथक रूप से रिपोर्ट देने की स्थिति में हो”।

यह पाया गया कि 77 सीपीएसईज में से 49 ने अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य किया था; यद्यपि 36 सीपीएसईज की सीएसआर समितियों ने ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर पृथक रूप से रिपोर्ट नहीं की।

4.5.5.6 कारोबार की सामान्य अवधि के अनुसरण में की गई सीएसआर गतिविधियां

सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 4(1) के अनुसार, “सीएसआर गतिविधियां अपने सामान्य कारोबार के अनुसरण अंतर्गत गतिविधियों को छोड़कर बताई गई सीएसआर नीति, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों (या तो नई या चालू) के अनुसार कम्पनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों का पूरा किया जाएगा।” लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सीएसआर प्रस्तावों के एक भाग के रूप में ओएनजीसी ने अपने हजीरा संयंत्र में मैनग्रोव प्रत्यावर्तन तथा संरक्षण के लिए 2013-14 से 2016-17 तक की समयावधि के दौरान ₹ 0.38 करोड़ का व्यय किया था। उक्त परियोजना का प्रस्ताव वर्णित करता है कि ओएनजीसी का हजीरा संयंत्र सूरत के तटीय क्षेत्र में स्थित था। हजीरा कैम्पस के निकट की मिट्टी भारी मृदा क्षरण के अधीन थी जो हजीरा कैम्पस के लिए एक चेतावनी देती थी। अतः हजीरा संयंत्र में मैनग्रोव वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव दिया गया। तथापि कम्पनी ने सीएसआर की धारा 4(1) में निहित निर्देशों के उल्लंघन में सामान्य उपक्रम व्यय के रूप में इसे दर्शाने की बजाय सीएसआर व्यय के रूप में उक्त व्यय की सूचना दी थी।

4.5.6 सीएसआर गतिविधियों का प्रभाव आकलन

डीपीई ओएम दिनांक 01.08.2016 के पैरा 2(V) के अनुसार “सीएसआर को कार्यान्वित कर सीपीएसईज द्वारा संस्थागत निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन हेतु संस्थागत तंत्र आरंभ किया जाना चाहिए।” 51 सीपीएसईज की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- क) सभी 51 सीपीएसईज ने एकसाथ कुल 454 परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन किया था। इनमें से, 259 (57.05 प्रतिशत) परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन इन हाउस किया गया तथा 195 (42.95 प्रतिशत) परियोजनाओं के लिए बाह्य एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया। तेरह सीपीएसईज ने प्रभाव आकलन पर ₹ 0.93 करोड़ का व्यय सूचित किया था। 77 सीपीएसईज में से 35⁵⁴ ने मध्य-अवधि सुधार पर विचार करने के लिए चालू सीएसआर परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन किया।
- ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के मामले में, सीएसआर बोर्ड समिति ने अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ निष्पादन केन्द्र (सीआरआईएसपी) के माध्यम से ₹ 2.44 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीएसआर के तहत भोपाल तथा फरीदाबाद में 600 युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण करने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया (12 अगस्त 2014)। ईआईएल तथा सीआरआईएसपी के बीच जुलाई 2015 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट (04.06.2016) से पता चला कि 600 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से केवल 450 अभ्यर्थियों का पता लगाया जा सकता था तथा शेष 150 अभ्यर्थियों और उनकी रोजगार योग्यता की स्थिति का प्रशिक्षण की पूर्णता के माह के अन्दर भी पता नहीं लगाया जा सका जो अभ्यर्थियों की अपर्याप्त मॉनीटरिंग तथा ट्रेकिंग को दर्शाता था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि 750 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण हेतु एमओयू जुलाई 2015 में हस्ताक्षरित किया गया तथा अभ्यर्थियों ने ₹ 7000 प्रति माह औसत वेतन प्राप्त किया। 150 अभ्यर्थियों के विवरण की अनुपलब्धता पर प्रबंधन का उत्तर

⁵⁴ बीएलसीएल और एमडीएसएल के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है

मौन है। प्रबंधन का ₹ 7000 वेतन के संबंध में उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित (₹ 8797 प्रति माह) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा (अक्टूबर/नवम्बर 2015) में (₹ 8810 प्रति माह) न्यूनतम मजदूरी का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।

क) हॉस्पिटैलिटी कौशल विकास विद्यालय (एसएसडीएच) ने बेरोजगार युवाओं को हॉस्पिटैलिटी में कौशल विकास परियोजना के लिए बेसलाइन रिपोर्ट के साथ सीएसआर के तहत निधियन तथा उनका रोजगार/स्व-रोजगार सुनिश्चित करने के लिए गेल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च/अप्रैल 2015)। गेल ने ₹ 1.08 करोड़ की लागत पर एसएसडीएच के साथ एक करार किया (जून 2015)। कार्यक्रम की पूर्णता पर, ₹ 1.08 करोड़ का सम्पूर्ण भुगतान जारी किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. एसएसडीएच द्वारा प्रस्तुत बेसलाइन रिपोर्ट ने होटल तथा रेस्टोरेंट के लिए 40-50 प्रतिशत और खाद्य सेवाओं के लिए 90-100 प्रतिशत तक अधिक आरोपण दर दर्शाई। इस अधिक आरोपण दर के बावजूद, गेल ने पूर्वोक्त परियोजना का वित्तपोषण किया।

ii. परियोजना के प्रभाव आकलन से यह पता चला कि दो माह के लिए प्रशिक्षित 500 युवाओं में से 125 प्रशिक्षार्थियों के नमूने में रोजगार दर बहुत कम थी क्योंकि वर्तमान में केवल 36 रोजगार में लगे हुए थे। अधिकतर प्रशिक्षार्थियों ने अपने रोजगार में तय भत्तो का केवल एक छोटा भाग प्राप्त किया तथा कुछ को भुगतान के बिना रखने के तीन माह पश्चात् नौकरी से निकाल दिया गया। छोटी दुकानों में भी प्लेसमेंट को सुरक्षित किया गया, उसके कारण प्रशिक्षण असंगत हुआ। इस प्रकार, अधिक अपघर्षण उद्यम के लिए वित्त को बढ़ाने के निर्णय के फलस्वरूप अपेक्षित प्रभाव की प्राप्ति नहीं हुई। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि उन्होंने कार्यक्रम में 99% उत्तीर्ण प्रतिशतता प्राप्त की तथा 22 सगंठनों की एक सूची दी है जिसमें विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर दिए गए थे। प्रबंधन के उत्तर ने उद्यम की अधिक अपघर्षण दर तथा पश्च प्रशिक्षण प्लेसमेंट प्रतिशत की संतोषजनक प्राप्ति में विफलता के बावजूद परियोजना के वित्तपोषण के संबंध में आपत्ति का समाधान नहीं किया है।

चयनित सीपीएसईज द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम	किए गए महत्वपूर्ण कार्य
1.	ओएनजीसी	ओएनजीसी ने ऑरोविल्ले संस्थान को स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 5592 विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा। ट्रस्ट ने विद्यालयों के विद्यार्थियों तथा उन समुदायों के बीच व्यवहारवादी परिवर्तन लाने तथा स्वास्थ्य स्वच्छता व्यवहार में लाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्य किया था जहां ओएनजीसी ने शौचालयों के निर्माण तथा/अथवा मरम्मत का निधियन किया है। इस हस्तक्षेप से विद्यालयों में सभी शौचालयों के अनुरक्षण की आदत डालकर यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों को संस्थागत करना था कि वे एक स्थायी तरीके से स्वच्छ रहे।
2.	बीपीसीएल	मोखड़ा में वर्षा जल संग्रहण के एक भाग के रूप में, बीपीसीएल ने 'बूंद' परियोजना आरम्भ की थी। इस परियोजना का ध्यान 21 आदिवासी गांवों को जल की कमी वाले क्षेत्र से जल बहुलता वाले क्षेत्र में परिवर्तित करना है।
3.	ओआईएल	ओआईएल ने स्थाई आय सृजन के लिए आजीविका आधारित समूह के लिए इसके व्यवधान के रूप में अरुणाचल प्रदेश में 'ऑयल जीविका' परियोजना आरम्भ की थी। 2016-17 में आरम्भ की गई परियोजना का लक्ष्य कौशल विकास प्रदान करना तथा मधुमक्खी पालन एवं शहद संसाधन, सरसो, बक-व्हीट एवं स्थानीय दाल संसाधन पर 400 लक्षित परिवारों को उन्नत प्रशिक्षण के साथ-साथ आय के वैकल्पिक साधन के सृजन के लिए उनको हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना तथा आत्मनिर्भर रहने वाले आजीविका समूह की स्थापना करना था। ऑयल इंडिया ग्रामीण विकास सोसाइटी (ओआईआरडीएस) के तहत तिनसुकिया तथा डिब्रूगढ़ जिलों के ओआईएल के परिचालनात्मक क्षेत्रों से वि.व. 2016-17 में 12 नए गांवों को (2400 बीघा में सली फसल तथा 1105 बीघा में रबी फसल) लिया गया था।

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम	किए गए महत्वपूर्ण कार्य
4.	एचपीसीएल	विशेष बच्चों के लिए उनकी सहायता के रूप में, एचपीसीएल ने महाराष्ट्र में परियोजना 'एडेप्ट' आरम्भ की है। इस परियोजना के तहत 315 विशेष बच्चों को शिक्षा तथा कौशल विकास के साथ चिकित्सा संबंधी सहायता दी गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य में आरम्भ की गई परियोजना नन्ही कली के तहत विशेषाधिकृत परिवारों की 12000 लड़कियों को अकादमिक, सामग्री तथा सामाजिक सहायता के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की गई।
5.	पीजीसीआईएल	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में किसान-केन्द्रित समेकित वाटर-शेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए उनके हस्तक्षेप के रूप में, कम्पनी ने 45000 क्यू.मी. वर्षा जल के संरक्षण का 12000 क्यू.मी. संग्रहण क्षमता का विकास किया। इसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादकता में लगभग 10-22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
6.	सीआईएल	प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर सोसाइटी के साथ मिलकर, कम्पनी ने झारखण्ड तथा असम के नक्सली तथा विप्लव प्रभावित जिलों में अधिकारहीन बच्चों तथा युवाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रण के साथ समुदाय आधारित समेकित कार्यक्रम के लिए पहल आरम्भ की थी।

4.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए अधिकतर 77 सीपीएसईज ने सीएसआर समिति के निर्माण, समिति की संरचना, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तथा सीएसआर नीति के निर्माण से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया।



लाभ कमाने वाले 66 सीपीएसईज (62 प्रतिशत) में से 41 सीपीएसईज के निदेशक मण्डल ने यह सुनिश्चित किया कि सीएसआर गतिविधियों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित निधियों को पूर्ण रूप से व्यय किया गया था। तथापि, 25 लाभ कमाने वाले सीपीएसईज (38 प्रतिशत) के बोर्ड ने ऐसा सुनिश्चित नहीं किया। व्यय में कमी निर्धारित राशि के 0.61 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। सोलह सीपीएसईज ने वार्षिक सीएसआर योजना नहीं बनाई थी। उन्नीस सीपीएसईज ने सीएसआर गतिविधियों के चयन से पूर्व कोई बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया। दस सीपीएसईज ने स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी थी। अधिकतर सीपीएसईज ने अपने सीएसआर कार्य के रूप में शिक्षा तथा कौशल विकास, हैल्थकेयर, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित किया। यह पाया गया कि पांच सीपीएसईज ने सीएसआर कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की थी। यद्यपि एमसीए ने सीएसआर की परिधि में से वेतन घटक को अलग रखने का निर्देश दिया था। तथापि, 25 सीपीएसईज ने सीएसआर व्यय के रूप में सीएसआर कार्य में सम्मिलित कर्मचारियों के वेतन को सम्मिलित किया। सीपीएसईज में एमआईएस सिस्टम के कई मामलों में सुधार की आवश्यकता थी।

अध्याय में निगमित मामले और सार्वजनिक उद्यम विभाग मंत्रालय के उत्तर प्रासंगिक पैराग्राफ में जोड़े गये हैं।